" दलितोद्धार के सवैधानिक प्रावधान"

डॉ. प्रस्तुत कर्ता– पप्पूराम कोली
'व्याख्याता' राजनीति शास्त्र
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
प्रतापगढ (राजस्थान)

– आलेख –

भारत में हजारों वर्षों से दलितों का शोषण होता रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है दलितों के प्रति असमानता व छुआछूत का भेदभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता रहा है। सामाजिक स्तर पर उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा अमानवीय या पशु तुल्य व्यवहार उनके प्रति किया जाता था। प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाता था। बेगारी, दासत्व शोषण, अत्याचार, अन्याय, क्रूरता आदि दलितों के सिम्बल के रूप में जाना जाता था तथाकथित अपने आपको को सवर्ण या उच्च जाति के हिन्दुवादी मानने वाले लोग निम्न जातियों के व्यक्ति स्पर्श न करने योग्य अर्थात अपवित्र है और यदि इनका स्पर्श हो गया तो हमें अपनी शुद्धि करनी होगी। हर प्रकार से उन्हें पीटा व मानसिक वेदना देते थे। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वे सदा वंचित रहे। दलितों से बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य लिया जाता था। छुआछूत का आलम यह था कि डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को हिन्दुवादी व्यवस्था से घोर निराशा हुई जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण करना पड़ज्ञं

भारतीय राजनीतिक चिन्तकों ने सर्वप्रथम दलितों के प्रति संवेदना दर्शायी। जिनमें प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, गोपालकृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर आदि ने दलितों के शोषण के प्रति अपनी आवाज उठाई तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास अपने विचारों के माध्यम से किया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का 'गरीबी हटाओं' का दृष्टिकोण दलितों के प्रति सम्मान जनक समानता प्राप्ति का एक सुअवसर प्रदान किया।

बड़े दुर्भाग्य कि बात है कि "अनुसूचित जातियां और जनजातियां मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 24.56 प्रतिशत है।" (1) इसके बावजूद भी उनकी स्थिति चिन्ताजनक और सोचनीय है। आज भी छुआछूत का भेद किया जाता है। दूल्हें को घोड़ी पर बिठाकर नहीं निकलने दिया जाता है। कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता है। दलितों के पास में बैठने से बदबू आती है। क्या इसे विकासशील या विकसित भारत कह सकते हैं ? यह आप को सोचना है।

दलितों के लिए भारतीय संविधान में निहित प्रावधान–

(1) स्थायी उपबंध (2) अस्थायी उपबंध

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माण में दलित जातियों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान करने पड़े जो क्रमशः निम्न है–

अनुच्छेद 341–342:– संविधान के अर्न्तनिहित अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रहित को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके एक सूची बनाए। संसद इस सूची का पुनरीक्षण कर सकती है। राष्ट्रपति ने भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश निकाले हैं जिनमें संसद के अधिनियमों द्वारा संशोधन भी किए गए है।

संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं जैसे–

1. अनुच्छेद–15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद–15 (4) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अनुच्छेद 15 में अन्तर्विष्ट मूलवंश और इसी प्रकार के अन्य आधारों पर विभेद करने के विरुद्ध साधारण प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि राज्य द्वारा इन जातियों और जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में विशेष उपबंध किये जाते हैं तो अन्य नागरिक

ऐसे उपबंधों की विधिमान्यता पर इस आक्षेप नहीं कर सकते कि वे उनके विरुद्ध विभेदकारी है।

2. अनुच्छेद–16 :– लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता –

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–16 (4) राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका, राज्य की राय में राज्य अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध कर सकती है।

3. अनुच्छेद– 17 :– अस्पृश्यता का अंत "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

4. अनुच्छेद–19 (5) भारत के राज्य क्षेत्र में असाद्य संचरण और निवास करने का अधिकार प्रत्येक नागरिकको प्रत्याभूत है किन्तु अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों की दशा में राज्य उनके हितों की सुरक्षा के लिए विशेष निर्वन्धन अधिरोपित कर सकता है। उदाहरणार्थ– उनकी सम्पति के अन्य संक्रमण या विभाजन को रोकने के लिए राज्य यह उपबन्ध कर सकता है कि वे अपनी सम्पत्ति का अन्य संक्रमण विनिर्दिष्ट प्रदासनिक प्राधिकारी की सहमति से विशेष दशा में ही कर सकेंगे। अन्यथा नहीं।

5. अनुच्छेद– 335 :– संघ या राज्य के क्रिया कलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाये रखने के लिए संगति के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। किन्तु अनुच्छेद 335 का परंतुक जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के पक्ष में किसी परीक्षा के अर्हक अंक (नंसपलिपदह उंतो) में छूट दिये जाने या मूल्यांकन के

स्तर को नीचा करने के लिए उपबन्ध करता है वह प्रशासन में दक्षता बनाये रखने को विचार में लिए जाने को प्रभावित करता है और उसने उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में इस पर बल दिए जाने से मुक्ति प्राप्त कर ली है।

6. अनुच्छेद– 338 :– अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इस संविधान या अल्प विधियों के अधीन उपबंधित रक्षा पायो के कार्यकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, प्रतिवेदन दें। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
7. अनुच्छेद– 339 (1) :– राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा। आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेगी और उसमें एसे आनुषंगिक या सहायक उपबन्ध समाविष्ट हो सकेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।
8. अनुच्छेद– 339 (2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निवेश में आवश्यक बढाई गई शक्तियों के बनाने और निष्पादन के बारे में हैं।

संसद के सदस्यों को ओर जनता के अन्य सदस्यों को सरकार के उपर्युक्त कृत्यों के सम्यक निर्वहन सहभागी बनाने के लिए तीन संसदीय समितियां स्थापित की गई है। उनका कार्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ बनाना और उनके कार्यकारण का पुनर्विलोकन करना तथा इन जातियों और जनजातियों से सम्बन्धित विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना है। (2)

9. अनुच्छेद–275 (1) :– कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता उपबन्ध किया गया है। इस अनुच्छेद में यह अपेक्षा है कि संघ राज्यों को उन

विकास योजनाओं के खर्चे को पूरा करन के लिए सहायता अनुदान देगा, जो उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों में प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के लिए हो।

10. अनुच्छेद–164 :– यह अभिकथित है कि बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्य में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जो अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभारी भी हो सकता है। व्यवहार में ऐसे कल्याण विभाग न केवल तीन राज्यों में ही बनाये गये हैं जिनके लिए संविधान में अपेक्षा की गई थी बल्कि अन्य राज्यों में भी है।
11. संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 के साथ पठित अनुसूचित जिस क्षेत्र में निवास करती है उनके प्रशासन के लिए विशेष उपबन्ध किये गए हैं।
12. अनुच्छेद 46 :– यह साधारण निदेश है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गो के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

दलितों के लिए भारतीय संविधान में निहित प्रावधान–

(2) अस्थायी उपबन्ध –

1. अनुच्छेद–330 :– लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों असम के जनजाति क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर और असम के स्वशासी जिलों की जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे।
2. अनुच्छेद–232 :– प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी असम के जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे।
3. अनुच्छेद–331 :– राष्ट्रपति की यह राय कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनाधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।

4. अनुच्छेद–333 :– राज्य विधान सभा के सम्बन्ध में राज्यपाल को इसी प्रकार की शक्ति है किन्तु संविधान (23वां संशोधन) अधिनियम 1969 द्वारा विधानसभा में राज्यपाल अधिक से अधिक एक ही व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट कर सकता है। यह शक्ति संविधान में प्रारम्भ से साठ वर्ष के पश्चात समाप्त हो जायेगी

संदर्भ–

1. इंडिया 2001 पृष्ठ 14।
2. वसु दुर्गादास "भारत की सांविधानिक विधि"।
3. वसु दुर्गादास "भारत का संविधान एक परिचय" कम्पनी एडमिनिस्टेरिक ऑफिस, डी.डी. 03, कालकाजी एक्स नेहरू प्लेस के सामने, नई दिल्ली।

IJMRA